न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—312 / 2021 दायर दिनांक 06.08.2021

जीसीएमएस आई0डी0ः—2021 / 357

1. रमेश उम्र 55 साल
2. छुट्टन उम्र 47 साल
3. सुरेश उम्र 35 साल

} पिसरान किशोरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायलान—03

बनाम

लखन उर्फ लखल्ली उम्र 60 साल पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायाल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री रिद्धिचंद जैन गैरसायल

निर्णय दिनांकः— 9-6-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खसरा न0 108 रकबा 15 ऐयर, 109 रकबा 28 ऐयर, 390 रकबा 15 ऐयर, 60 रकबा 30 ऐयर, 63 रकबा 16 ऐयर, 65 रकबा 17 ऐयर, 77 रकबा 15 ऐयर, 78 रकबा 9 ऐयर, 79 रकबा 9 ऐयर, 80 / 3818 रकबा 20 ऐयर, 81 रकबा 2 ऐयर, 93 रकबा 21 ऐयर, 94 रकबा 54 ऐयर कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 है0 स्थित ग्राम इरनिया तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

आराजीयात खसरा न0 104 रकबा 16 ऐयर, 105 रकबा 10 ऐयर, 363 रकबा 31 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 57 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल बहिस्सा 1 / 2 एवं दावे के प्रतिवादी स0 2 ता 7 बहिस्सा 1 / 2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

आराजी खसरा न0 400 रकबा 44 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा में गैरसायल 25 / 44 हिस्से का एवं 19 / 54 हिस्से के दावे के प्रतिवादी स0 8 लगायत 13 खातेदार काश्तकार रेवन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात वर्णित [illegible] मुताबिक खसरा न0 256 रकबा 10 बिस्वा, 269 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 280 रकबा 5 बिस्वा, 282 रकबा 17 बिस्वा, 283 रकबा 14 बिस्वा, 284 रकबा 13 बिस्वा, 285 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी

648 रकबा 15 बिस्वा, 656 रकबा 1 बीघा, 271 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 259 रकबा 16 बिस्वा, 261 रकबा 14 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में है। मृतक बुद्धि सायलान के मृतक पिता किशोरी के खास भाई थे। एवं लाऔलाद फौत हुऐ। इसी प्रकार आराजीयात वर्णित मद न0 3 प्रार्थना पत्र की साबिक खातेदारी भी मृतक बुद्धि के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है।

आराजीयात वर्णित मद न0 2 लगायत 4 प्रार्थना पत्र साबिक रिकॉर्ड में मृतक देवीराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है लेकिन देवीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजीयात वर्णित मद न0 4 प्रार्थना पत्र का नामांतकरण मृतक बुद्धि के नाम तकमील तस्दीक कर दिया गया। सायालान एवं गेरसायल के पिता किशोरी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं किया गया, लेकिन बुद्धि की शादी नहीं होने के कारण बुद्धि व किशोरी दोनो भाई जीवन पर्यन्त साथ साथ रहे एवं समस्त आराजीयात को सम्मिलित रूप से काश्त करते रहे। इसलिये खातेदारी को लेकर दोनो भाई मृतक बुद्धि एवं मृतक किशोरी के मध्य किसी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन बुद्धि की मृत्यु के बाद गैरसायल ने दौराने सेटिलमेंट कर्मचारियों से साज कर मृतक बुद्धि की खातेदारी की आराजीयात को विरासत के आधार पर स्वयं के नाम तब्दील करवा लिया, जबकि लखन उर्फ लखल्ली वास्तव में किशोरी का सबसे बडा पुत्र है। इसलिये आराजीयात वर्णित मद न0 2 ता 4 प्रार्थना पत्र को खातेदारी गैरसायल द्वारा सेटिलमेंट विभाग के कर्मचारियों के साज कर अपने नाम दर्ज कराना भली प्रकार साबित है।

गैरसायल के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात पुराने राशन कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजात में पिता का नाम किशोरी दर्ज है। एवं मृतक किशोरी के चार पुत्र होने के फलस्वरूप विवादग्रस्त आराजीयात में सायालान प्रत्येक बहिस्सा 1/4, 1/4 के एवं गैरसायल स0 बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है एवं विवादग्रस्त आराजीयात का सायलान एवं गैरसायल ने बाहमी बंटवारा भी किया हुआ है। जिससे सायलान मृतक बुद्धि व किशोरी से बिरासत में प्राप्त हुई है। पैतृक आराजीयात के 3/4 हिस्से पर सायलान एवम 1/4 हिस्से पर गैरसायल काबिज एवम दखील है। एवं इसी प्रकार समस्त रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बाका दिनांक 26.07.2021 को सायलान अपनी आराजीयात र केसीसी की पत्रावली बनवाने तहसील परिसर में आये और उन्होने जब विवादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकॉर्ड से संबधित कागजात निकलवाये, तब जाकर सायालान को इस बात का इल्म हुआ। कि गैरसायल ने बुद्धि की आराजीयात को रेवन्यु अधिकारियों से साज कर विरासत के आधार पर नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जोकि बिलकुल गलत है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल आराजीयात खसरा न0 108, 109, 390, 60, 63, 65, 77, 78, 79, 80/3818, 81, 93, 94 कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 है0 खसरा न0 104, 105, 363 कुल किता 3 कुल रकबा 57 ऐयर एवं खसरा न0 400 रकबा 44 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से में गैरसायल कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे ना ही सायालान को बेदखल कर स्वयं कब्जा करे। तथा सायालन के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से श्री रिद्धिचंद जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया। जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर–1 में सायलान द्वारा गैरसायल तथा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में कतई गलत एवं असत्य दावा बाबत इश्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायलान को हरगिज सफलता नहीं मिल सकती है।
2. प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर–2 में दर्ज आराजीयात का ग्राम इरनिया में स्थित होना अस्वीकार है। उक्त आराजीयात ग्राम झारेडा, तहसील–हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात गैरसायल की खातेदारी व कब्जाकाश्त की स्थित है, लेकिन सायलान ने बराये बदयान्ती अपने प्रार्थना–पत्र में गैरसायल की बल्दियत किशोरी गलत दर्ज की है, गैरसायल लखल्ली के पिता का नाम बुद्धि है तथा वही नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी के खाने में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

3. प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर–3 में दर्ज आराजीयात ग्राम झारेडा में स्थित होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी के 1/2 हिस्से में गैरसासयल लखल्ली पुत्र बुद्धि का नाम दर्ज है। सायलान ने अपने वाद–पत्र में गैरसायल की बल्दियत किशोरी अल्टीरियर मोटिव से गलत दर्ज की है।

4. प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर–4 में दर्ज आराजी का चाम झारिता में स्थित होना स्वीकार है। उक्त आराजी की खातेचारी 25/44 हिरनी की गैरसायल लखल्ली पुत्र बुद्धि के नाम दर्ज है। सावलान ने अपने प्रार्थना–पत्र में गैरसायल की बल्दियत किशोरी अल्टीरिगर मोटिव से गलत दर्ज की है।

5. प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर–5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजीयात मुतजिका मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र के साबिक खसरा नम्बर–256 रकबा 10 विश्वा नहीं है बल्कि 1 बीघा 05 विस्वा है, खसरा नम्बर 269 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र का कोई साविक खसरा नम्बर नहीं है। उक्त मद में कुल 13 खसरा नम्बर दर्ज नहीं है नाहीं कुल रकबा 11 वीघा 16 विस्वा ही है, बल्कि इस मद में केवल 12 खसरा नम्बर दर्ज है जिनका रकबा 10 वीघा 08 विस्वा होता है। खसरा नम्बर–269 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा की खातेदारी बुद्धि पुत्र देवीराम के नाम कभी नहीं रही है। मृतक बुद्धि सायलान के पिता किशोरी के नाई अवश्य थे, लेकिन वह लाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि स्वर्गीय श्री बुद्धि का पुत्र गैरसायल है तथा श्री बुद्धि की मृत्यु के पश्चात् बुद्धि की खातेदारी की समस्त आराजीयात विरासत के आधार पर गैरसायल लखल्ली पुत्र बुद्धि के नाम दर्ज हो चुकी है। इसी प्रकार मद नम्बर–3 व 4 प्रार्थना–पत्र में दर्ज आराजीयात की खातेदारी भी गैरसायल लखल्ली पुत्र बुद्धि के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

6. प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर–6 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। सायलान ने सजरा कतई असत्य एवं अधूरा पेश किया है। गैरसायल लखन सिर्फ लखल्ली किशोरी का पुत्र नहीं है बल्कि बुद्धि का पुत्र है। उसे किशोरी का पुत्र गलत दर्ज किया है। इसके अलावा सायलान ने किशोरी की चार पुत्रीयों का नाम सजरे में दर्ज नहीं किया है। सायलान रमेश, छुट्टन एवं सुरेश के अलावा किशोरी की पुत्रीयां श्योवाई, जगनी, भौती व जामती और है जिनका नाम सजरे में दर्ज नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

7. प्रार्थना–पत्र का पद नम्बर–कराईत एवं असाय होने के कारण अस्वीकार है। आराजीया वर्णित पद नम्बर–2 लगायत–4 प्रार्थना–पत्र साबिक में कभी भी मृतक देवीराम की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की आराजीयात नहीं रही है। उक्त आराजीवात की खातेदारी प्रारम्भ से ही गैरसायल के पिता बुद्धि पुत्र देवीराम के नाम रही है, क्योंकि उक्त समस्त आराजीयात गैरसावल के पिता बुद्धि की स्वयं पैदा कर्ता आराजीयात थी। उक्त आराजीयात्त से सायलान के पिता स्वर्गीय श्री किशोरी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं था। गैरसायल के पिता बुद्धि का नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी में श्री देवीराम की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर नहीं मरा गया था। इसलिए बुद्धि के साथ किशोरी का नाम खातेदारी में अंकन करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सायलान ने यह भी असत्य दर्ज किया है कि बुद्धि की शादी नहीं होने के कारण बुद्धि व किशोरी दो भाई जीवनपर्यन्त साथ–साथ रहे एवं समस्त आराजीयात को सम्मिलित रूप से काश्त करते रहें। बुद्धि की मृत्यु के पश्चात् गैरसायल ने सेटिलमेन्ट कर्मचारियों से साज कर स्वर्गीय श्री बुद्धि की खातेदारी की आराजीयात का नामान्तकरण विरासत के आधार पर दर्ज नहीं कराया बल्कि सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने पूर्ण जांच करने के पश्चात् गैरसायल का नाम उसके पिता बुद्धि के स्थान पर विरासत के आधार पर दर्ज किया था। गैरसायल किशोरी का सबसे बडा पुत्र नहीं है बल्कि गैरसायल के पिता का नाम बुद्धि है।

8. प्रार्थना–पत्र का पद नम्बर–8 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल के समस्त शैक्षणिक, पुराने राशन कार्ड, प्रमाण–पत्र एवं किसी भी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम किशोरी दर्ज नहीं है बल्कि बुद्धि दर्ज है। किशोरी के चार पुत्र नहीं है बल्कि तीन पुत्र जो सायलान है। आराजीयात विवादग्रस्त में किसी भी सायलान का कोई 1/4–1/4 हिस्सा नही है। नाही व उसके अनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आरजीयात का कोई बाहमी बंटवारा किया हुआ नहीं है। सायालान को आराजीयात प्राप्त नहीं हुई है नाही सायलान आराजीयात तदादिया के 3/4 हिस्से पर काबिज व दखील ही है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात [illegible] रावल शिल खातेदार काश्तकार वास्तविक भौतिक रूप से काबिज [illegible] करता चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

सायलान का आराजीयात मुतदाविया से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है नाही राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी ही है।

9. प्रार्थना–पत्र का बाद नम्बर–9 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक–26.07.2021 की घटना सायलान ने प्रार्थना–पत्र हाजा दायर करने के उद्देश्य से गलत दर्ज की है। आराजीयात विवादग्रस्त की सम्पूर्ण खातेदारी गैरसायल के नाम दर्ज होने की जानकारी सायलान को प्रारम्भ से ही है। गैरसायल ने रेवन्यू कर्मचारियों से कोई साज नहीं किया, नाही किसी साजिश के तहत स्वर्गीय श्री बुद्धि की आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराया बल्कि राजस्व कर्मचारियों ने पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही स्वर्गीय श्री बुद्धि की आराजीयात का नामान्तकरण गैरसायल के नाम विरासत के आधार पर सही दर्ज किया है। सायलान ने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

10. प्रार्थना–पत्र का बाद नम्बर–10 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल अपने किसी भी गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब नहीं है, नाही सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति ही है. जब सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की है ही नहीं तो उसकी पूर्ति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विवादग्रस्त आराजीयात से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान ने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत एवं खिलाफ कानून पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

11. प्रार्थना–पत्र के नम्बर–11 कतई गलत एवं अके कारण अस्वीकार है। सायलान का प्राईसी सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं है बल्कि सुविधा का संतुलन धाईमाफेसी कैस गैरसायल के पक्ष में बखूनी साबित है।

प्रतिवादीया नम्बर–2 कंचनबाई, प्रतिवादी नम्बर–8 गोपाल, प्रतिवादीया नम्बर–9 मुस० जगनी एवं प्रतिवादी नम्बर–11 जयराम का दावा हाजा दायर करने से लगभग पांच वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ वाद दायर किया है, जो नलिटी है। इसी आधार पर वादीगण का बाद मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। सायलान ने दावा हाजा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध दायर किया है. जबकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा केवल जीवित व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र सायलान चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान ने दावा हाजा कंचनबाई, गोपाल, मुस० जगनी एवं जयराम मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है इसलिए दावा हाजा नलिटी होने के कारण प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी खारिज किये जाने योग्य है। जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सायलान ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 737, 738, 736 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन पेश किये है। गैरसायलान ने अपना जबाब प्रार्थनापत्र साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विद्युत कनेक्शन बिल, राशन कार्ड लखल्ली राम मीना, राशन कार्ड पुराना लखल्ली पुत्र बुद्धि, आधार कार्ड लखल्ली मीना, जनाधार कार्ड अमरपति, पेन कार्ड लेखल्ली, बैंक पासबुक बैंक ऑफ बडौदा लखल्ली पेश किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विंवादित गैरसायल आराजीयात खसरा न0 108, 109, 390, 60, 63, 65, 77, 78, 79, 80/3818, 81, 93, 94 कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 है0 खसरा न0 104, 105, 363 कुल किता 3 कुल रकबा 57 ऐयर एवं खसरा न0 400 रकबा 44 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से में गैरसायल कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे ना ही सायालान को बेदखल कर स्वयं कब्जा करे। तथा सायालन के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया गया। वकील गैरसायल ने अपने बहस कथन में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायल के समस्त शैक्षणिक, पुराने राशन कार्ड, प्रमाण–पत्र एवं किसी भी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम किशोरी दर्ज नहीं है बल्कि बुद्धि दर्ज है। किशोरी के चार पुत्र नहीं है बल्कि तीन पुत्र जो सायलान है। आराजीयात विवादग्रस्त में किसी भी सायलान का कोई 1/4–1/4 हिस्सा नही है। नाही व उसके अनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आरजीयात का कोई बाहमी बंटवारा किया हुआ नहीं है। सायालान को आराजीयात प्राप्त नहीं हु[illegible] सायलान आराजीयात तदादिया के 3/4 हिस्से पर काबिज व दखील ही है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात पर रावल शिल खातेदार काश्तकार वास्तविक भौतिक रूप से काबिज होकर करत करता चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आ रहा है। सायलान का आराजीयात मुतदाविया से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है नाही राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी ही है। विवादग्रस्त आराजीयात से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान ने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत एवं खिलाफ कानून पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा न0 108, 109, 390, 60, 63, 65, 77, 78, 79, 80/3818, 81, 93, 94, 104, 105, 363, 400 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से मे गैरसायल कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे नाही सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा करे तथा सायलान के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहनव्यय करे, मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 9/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
9/6/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:30 IST
Reason: SelfAttested